भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1723

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

पोलावरम परियोजना

1723. श्री पुट्टा महेश कुमार:

श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोलावरम परियोजना पूरी होने के पश्चात् जल प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्य-वार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में ब्यौरा क्या है;

(ख) पोलावरम परियोजना पूरी होन पर आंध्र प्रदेश के प्रत्येक जिले को मिलने वाले जल की कुल मात्रा के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पोलावरम परियोजना के विकास के संबंध में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की कोई संपरीक्ष की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने पोलावरम परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क): आंध्र प्रदेश में, गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 द्वारा एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। वित्त मंत्रालय के वर्ष 2016 के अनुमोदन के अनुसार, भारत सरकार को दिनांक 1.4.2014 से शुरू होने वाली अवधि के लिए उस तारीख को सिंचाई घटक की लागत की सीमा तक केवल परियोजना के सिंचाई घटक की शेष लागत का 100% प्रदान करना है। हांलाकि, आन्ध्र प्रदेश सरकार भारत सरकार की ओर से इस परियोजना को कार्यान्वित कर रही है।

पोलावरम सिंचाई परियोजना के पूरा होने पर, आंध्र प्रदेश में लाभार्थियों - जिन्हें पानी (सिंचाई और घरेलू उद्देश्य के लिए) प्राप्त होगा, की अनुमानित संख्या नीचे दर्शायी गई है:-

क्र.सं.	विवरण	कुल लाभार्थियों की संख्या
(1)	**नहरों के माध्यम से सिंचाई हेतु जल**	
क.	बाईं मुख्य नहर	3,71,680
ख.	दाहिनी मुख्य नहर	2,83,471
(2)	**घरेलू उपयोग हेतु जल**	
क.	अनकापल्ली नगर पालिका	86,519

ख.	ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम	16,97,947
ग.	नहरों के रास्ते में आने वाले 540 गांव	28,50,000

इस परियोजना का मुख्य रूप से लाभ आंध्र प्रदेश को होगा, हालांकि गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण (जीडब्ल्यूडीटी) द्वारा पोलावरम सिंचाई परियोजना से ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों को भी पानी आवंटित किया गया है। इसके अलावा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना परियोजना के माध्यम से कृष्णा नदी से को जल अंतरंण के बदले कृष्णा बेसिन के पानी का उपयोग किया जा सकता है।

(ख): पोलावरम सिंचाई परियोजना के पूरा होने पर आंध्र प्रदेश में जिला-वार उपलब्ध कुल जल की मात्रा नीचे दर्शायी गई है-

(पानी की मात्रा हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) में)

क्र.सं.	**जिलों के नाम**	**जल की कुल मात्रा(टीएमसी में)**
1	पूर्वी गोदावरी	51.34
2	पश्चिम गोदावरी	9.01
3	एलुरु	21.77
4	कृष्णा	12.76
5	एनटीआर	2.51
6	डॉ. बी आर अम्बेडकर कोनासीमा	0.42
7	काकीनाडा	35.23
8	अनकापल्ली	34.07
9	विशाखापट्टनम	21.23
	कुल	**188.34**

(ग): भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने पोलावरम सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की और उन्होंने इसमें वर्ष 2012 की रिपोर्ट संख्या 2 (अप्रैल 2006 से मार्च 2010 तक की अवधि को कवर करते हुए) और वर्ष 2018 की रिपोर्ट संख्या 4 (अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक की अवधि को कवर करते हुए) को शामिल किया गया था। इसके अलावा, सीएजी ने वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक की अवधि का पोलावरम सिंचाई परियोजना का कार्य-निष्पादकता लेखा-परीक्षा की जाएगी और इस संबंध में रिपोर्ट प्रतीक्षित है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वार्षिक आधार पर आन्ध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) को की गई प्रतिपूर्ति सहित पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के लेखों की लेखा परीक्षा कर रहा है। यह वार्षिक सीएजी ऑडिट पिछले वित्तीय वर्ष यानी वर्ष 2022-23 तक का किया गया है।

(घ): इस समय आंकलित समय-सीमा के अनुसार, पोलावरम सिंचाई परियोजना का चरण-I अर्थात् ईएल 41.15 मीटर के न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर तक जल भंडारण मार्च, 2026 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

*****